रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2005/ज्येष्ठ 17, 1927
No. 244] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2005/JYAISTHA 17, 1927

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सा.का.नि 375(अ).— औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको राजपत्र की वह प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी जाती है **पैंतालीस दिन** की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

2. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, श्रम और नियोजन (समन्वय अनुभाग)श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकेंगे ।

3. ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश)केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2005 है ।
   (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश)केन्द्रीय नियम, 1946 में, —

(क) अनुसूची 1 के पैरा 14 के उपपैरा (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु जहां औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश)नियम की अनुसूची 1 के पैरा 14 के अर्थातंर्गत लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत हो वहां ऐसी शिकायतों की जांच के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में स्थापित शिकायत समिति को इन नियमों के प्रयोजन के लिए नियोजक द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी समझा जाएगा और यदि लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए पृथक् प्रक्रिया विहित नहीं की गई है तो शिकायत समिति यथासाध्य इन स्थायी आदेशों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी,

स्पष्टीकरण 1 :- जांच समिति में, –

(क) एक महिला अध्यक्ष ; और

(ख) तीसरा पक्षकार, गैर सरकारी संगठन या कोई अन्य निकाय जो लैंगिक उत्पीड़न में विषय से सुपरिचित हो या राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय /राज्य महिला आयोग का कोई नाम निर्देशिती जो लैंगिक उत्पीड़न के विषय से सुपरिचित हो,

समाविष्ट होंगे ।

ऐसी शिकायत समिति की आधी सदस्य संख्या महिलाओं की होगी ।

स्पष्टीकरण 2 :- शिकायत समिति समुचित सरकार को शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट देगी । कर्मचारी और भारसाधक व्यक्ति भी 1992 की रिट याचिका (दांडिक) सं0 666-670 (विशाका और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) में उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन पर रिपोर्ट देगा जिसके अंतर्गत शिकायत समिति की रिपोर्टें भी हैं ।

(ख) अनुसूची -1क के पैरा 17 में उपपैरा (i)के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु जहां औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश)नियम की अनुसूची 1क के पैरा 17 के अर्थांतर्गत लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत हो वहां ऐसी शिकायतों की जांच के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में स्थापित शिकायत समिति को इन नियमों के प्रयोजन के लिए नियोजक द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी समझा जाएगा और यदि लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए पृथक प्रक्रिया विहित नहीं की गई है तो शिकायत समिति यथासाध्य इन स्थायी आदेशों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी,

स्पष्टीकरण 1 :- जांच समिति में, –

(क) एक महिला अध्यक्ष ; और

(ख) तीसरा पक्षकार, गैर सरकारी संगठन या कोई अन्य निकाय जो लैंगिक उत्पीड़न में विषय से सुपरिचित हो या राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय /राज्य महिला आयोग का कोई नाम निर्देशिती जो लैंगिक उत्पीड़न के विषय से सुपरिचित हो,

समाविष्ट होंगे ।

ऐसी शिकायत समिति की आधी सदस्य संख्या महिलाओं की होगी ।

स्पष्टीकरण 2 :- शिकायत समिति समुचित सरकार को शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट देगी । कर्मचारी और भारसाधक व्यक्ति भी 1992 की रिट याचिका (दांडिक) सं0 666-670 (विशाका और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) में उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन पर रिपोर्ट देगा जिसके अंतर्गत शिकायत समिति की रिपोर्टें भी हैं ।

[फा. सं. एस-12011/3/2004-कोर्ड]

एच. एन. गुप्ता, श्रम और रोजगार सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना, अधिसूचना सं. एल आर 11(37), तारीख 18 दिसंबर, 1946 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

(i) सा. का. नि. 208 तारीख 31.1.1954

(ii) सा. का. नि. 556 तारीख 24.2.1956

(iii) सा. का. नि. 557 तारीख 30.4.1959

(iv) सा. का. नि. 655 तारीख 3.6.1960
(v) सा. का. नि. 1166 तारीख 28.6.1963
(vi) सा. का. नि. 1123 तारीख 18.7.1967
(vii) सा. का. नि. 1573 तारीख 10.10. 1967
(viii) सा. का. नि. 1732 तारीख 12.05.1967
(ix) सा. का. नि. 824 तारीख 30.6.1975
(x) सा. का. नि. 30 अ तारीख 17.1.1983
(xi) सा. का. नि. 386 तारीख 20.11.1999
(xii) सा. का. नि. 936 अ तारीख 10.12.2003

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

G.S.R. 375(E).— The following draft of certain rules further to amend the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken up for consideration on or after the expiry of a period of **forty-five days** from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

2. Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Labour and Employment (Coordination Section), Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi – 110 001.

3. The objections or suggestions, which may be received from any, person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946,-

(a) in Schedule-I, in paragraph 14, after sub-paragraph (3), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of paragraph 14 of Schedule I of the Industrial Employment (Standing Orders) Rules, the Complaints

Committee established in each establishment for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the employer for the purpose of these rules and the Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these standing orders.

Explanation-I: The Complaint Committee shall comprise of:-

(a) A woman Chairperson; and
(b) a third party, either Non Governmental Organization (NGO) or other body who is familiar with the issue of sexual harassment or a nominee of the National / State Human Rights Commission or the National / State Commission for Women familiar with the issue of sexual harassment.

Half of the members of such Complaint Committee shall be woman.

Explanation-II: The Complaint Committee shall make an annual report, to the appropriate Government, of the complaints and action taken . The employers and person in charge will also report on the compliance of the guidelines issued by the Central Government in pursuance with the direction of the Supreme Court in Writ Petition (Criminal) Nos.666-670 of 1992 (titled as Vishaka and others versus State of Rajasthan and others) including on the reports of the Complaint Committee".

(b) in Schedule-IA, in paragraph 17, after sub-paragraph (i), the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of paragraph 17 of Schedule IA of the Industrial Employment (Standing Orders) Rules, the Complaints Committee established in each establishment for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the employer for the purpose of these rules and the Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry, as far as practicable, in accordance with the procedure laid down in these standing orders.

Explanation-I: The Complaint Committee shall comprise of:-

(a) A woman Chairperson; and
(b) a third party, either Non Governmental Organization (NGO) or other body who is familiar with the issue of sexual harassment or a nominee of the National / State Human Rights Commission or the National / State Commission for Women familiar with the issue of sexual harassment.

Half of the members of such Complaint Committee shall be women.

Explanation-II: The Complaint Committee shall make an annual report, to the appropriate Government, of the complaints and action taken . The employers and person in charge will also report on the compliance of the guidelines issued by the Central Government in pursuance with the direction of the Supreme Court in Writ Petition (Criminal) Nos.666-670 of 1992 (titled as Vishaka and others versus State of Rajasthan and others) including on the reports of the Complaint Committee".

[F. No. S-12011/3/2004-Coord.]

H. N. GUPTA, Labour and Employment Adviser

Note: Principal Notification published, vide Notification No.LR 11(37) at 18.12.1946 and subsequently amended by: -

(i) GSR No.208 dated 31.01.1954
(ii) GSR No.556 dated 24.02.1956
(iii) GSR No.557 dated 30.04.1959
(iv) GSR No.655 dated 03.06.1960
(v) GSR No.1166 dated 28.06.1963
(vi) GSR No.1123 dated 18.07.1967
(vii) GSR No.1573 dated 10.10.1967
(viii) GSR No.1732 dated 12.05.1967
(ix) GSR No.824 dated 30.06.1975
(x) GSR No.30 E dated 17.01.1983
(xi) GSR No.386 dated 20.11.1999
(xii) GSR No.936 E dated 10.12.2003

*with Hindi Version

1739GI/25-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.